विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

दिनांक 8 अक्तूबर 2012

मि.सं. 15-3/2012 (ए.आर.सी.)--

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (3,1956) की धारा 26 के खण्ड (जी) की उपधारा (1) के निष्पादन के अनुक्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्न विनियम का सृजन किया जाता है:—

(1) इन विनियम को ''उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम को नियंत्रित करने वाले विनियम (संशोधित), 2012'' के नाम से जाना जाएगा।

(2) ये समस्त विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ही लागू माने जाएंगे।

2. ''उच्चतर शैक्षिणिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण संबंधी विनियम'' — इन शब्दों को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा— ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 जो कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण हेतु आयोग द्वारा निर्मित किए गए है (भविष्य में जो मुख्य विनियमों के रूप में जाने जाएंगे जो कि विनियम 1, के उप विनियम 1.1 के अन्तर्गत – ''उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण संबंधी विनियम'', प्रयुक्त किये जाएंगे)

3. मुख्य विनियमों में विनियम 8 के अन्तर्गत जिन्हें सम्मिलित किया गया है:

(क) उप विनियम 8.1, खण्ड (एफ) में व्यक्त शब्दों को ''केन्द्रीय सरकार'' के स्थान पर 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उप विनियम 8.2 खण्ड (एफ) में प्रयुक्त शब्दों, कोष्ठकों, वर्णों एवं संख्याओं के स्थान पर ''विनियम 8.1, खण्ड (जी)'' के अन्तर्गत शब्द, कोष्ठक, वर्ण एवं संख्यायें जो प्रयुक्त की गई हैं उन्हें ''विनियम 8.1 के खण्ड (एफ)'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

टिप्पणी:

मुख्य विनियम, भारत के राजपत्र, अधिनियम संख्या 27 दिनाँक 04.07.2009 में प्रकाशित किये गए थे।

(एन. आदिल काजमी)
सचिव